

न्यायालय कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी जबलपुर (मध्य प्रदेश)
अ0वि0अ0(राजस्व)जबलपुर का प्रकरण क्रमांक/14/अ-89/13/2020-2021

प्ररूप-2

(नियम-3(4))

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

दिनांक- 12-03-2021 रजिस्ट्रीकरण क्रमांक-08/2021

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स श्री महामाया एसोसियेट्स फर्म जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक-1 सन् 1994) और मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम-2014 के उपबंधों के अधीन कालोनाईजर के रूप में रजिस्ट्रीकृत है,अर्थात:-

(1) मेसर्स श्री महामाया एसोसियेट्स फर्म द्वारा पार्टनर श्री अशोक जायसवाल पिता स्व.श्री शीतल प्रसाद,श्री भगवान सिंह, श्री संतोष चौबे, श्री तरुण घाली निवासी-बडी खेरमाई मंदिर के सामने भान तलैया जबलपुर के रजिस्ट्रीकरण के निर्बन्धन तथा शर्तें निम्नानुसार होगी:-

- (1) यह रजिस्ट्रीकरण जबलपुर जिले की पंचायतों तक सीमित है।
- (2) कालोनाईजर को प्रत्येक अतिरिक्त कालोनी के विकास की पूर्व सूचना देना होगी।
- (3) विकास कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रत्येक कालोनी के लिए पृथक से अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी।
- (4) आवेदक सक्षम प्राधिकारी के निर्णय से बाध्य होगा।
- (5) आवेदक अपने पते में हुये किसी भी परिवर्तन की सूचना सक्षम प्राधिकारी को देगा।
- (6) यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र इसके जारी होने की दिनांक से 5 वर्ष के लिए वैध होगा इसके पश्चात नियमानुसार नवीनीकरण की कार्यवाही करनी होगी।

टिप्पणी-कालोनी का विकास,उसका विकास कार्य,भूखण्डों/भवनों का विक्रय सिर्फ तभी विधिमान्य होगा,यदि कालोनी विकसित करने की अनुज्ञा नियमों में विहित किए गए अनुसार प्राप्त की गयी है।



(Signature)
कलेक्टर
जबलपुर (म.प्र.)
एवं सक्षम प्राधिकारी
जबलपुर (मध्य प्रदेश)